कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)
Phone No. :– 01432-294603, E-mail:legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक : 4988-50/2 दिनांक : 20/05/22

प्रतिलिपि :–राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 11078 दिनांक **19.05.2022 निम्न** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य **विधिक सेवा प्राधिकरण** जयपुर द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा **समितियों के** लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों, एवं अधिकरणों **में प्रेक्टिस** करने वाले समस्त व्यवसायियों/अधिवक्तागण से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य **विधिक** सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं/कार्यक्रमों/के कियान्वयन हेतु "पैनल अधिवक्ता" के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आंमत्रित किए गए है। विज्ञप्ति में पैनल अधिवक्ता हेतु योग्यता, ऑनलाईन आवेदन करने, आवेदन करने अंतिम तिथि एवं हार्डकॉपी जमा करवाने का स्थान, संबंधित मुख्यालय पर पद संख्या, अण्डरटेकिगं कार्य, आवश्यक दस्तावेज आदि के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए है–

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
02. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
03. जिला कलेक्टर, टोंक
04. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह
05. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूनी/पीपलू
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी/पीपलू
07. उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार समस्त, जिला टोंक
08. नोटिस बोर्ड समस्त न्यायालय न्यायिक एवं राजस्व/ लोक अभियोजन कार्यालय/तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/मंच, जिला टोंक
09. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
टोंक (राज.)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

कमांकः– 11078 दिनांकः– 19-05-2022

::विज्ञप्ति::

राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों एवं अधिकरणों में प्रेक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु "पैनल अधिवक्ता" के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं–

पात्रताः–

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम लगातार तीन वर्षों का विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का अनुभव रखता हो।

नोटः–

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. पैनल (1) दाण्डिक (2) सिविल (3) राजस्व एवं (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी वर्ग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा पृथक–पृथक तैयार किए जाएंगे।
3. सिविल पैनल में सभी सिविल प्रकृति के वाद एवं निष्पादन कार्यवाही, एमएसीटी क्लेम, वैवाहिक विवाद, किराया नियंत्रण अधिनियम, श्रम व नियोजन संबंधी विवाद, औद्योगिक विवाद, पर्यावरण संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद, रेल दावे के वाद, कर संबंधी विवाद, जेडीए, वक्फ बोर्ड संबंधी, उपभोक्ता मंच, सेवा संबंधी मामले, सहकारिता वाद, गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण, परिवहन अधिकरण संबंधी वाद तथा सभी न्यायालय/अधिकरण/मंच में लम्बित अन्य दीवानी प्रकृति के वाद शामिल रहेंगे।
4. दाण्डिक पैनल में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण–पोषण के वाद, घरेलू हिंसा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, पीसीपीएनडीटी, एसीडी न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, सीबीआई न्यायालय से संबंधित मामले तथा अन्य सभी आपराधिक प्रकरण सम्मिलित हैं।
5. आवेदक द्वारा ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और <u>ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो</u>, परन्तु इसके अन्तर्गत–

(क) धारा–13बी, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के आदेश, राजीनामे से निस्तारित हुए प्रकरण, जुर्म स्वीकारोक्ति से हुए निर्णय/आदेश, जमानत प्रार्थना–पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्रों पर दिया गया अंतिम आदेश विचारार्थ उपयुक्त होगा।

(ख) यदि निर्णय या अंतिम आदेश में आवेदक के स्थान पर उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, तो उस निर्णय या अंतिम आदेश को संख्या की गणना के प्रयोजन से विचार में नहीं लिया जावेगा।

6. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।

7. पैनल अधिवक्तागण को वितरित किए जाने वाले कार्यों की संख्या के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए पैनल अधिवक्तागण की संख्या नियत की गई है, जिसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण/समिति से प्राप्त की जा सकती है। पैनल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी, एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथासंभव अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

8. पैनल बनाते समय यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदक योग्य पाए जाते हैं, तो प्राप्त आवेदनों में से अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।

9. रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर होना होगा।

10. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा और किसी भी ऐसे प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें उसके द्वारा विपक्षी पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गई हो।

11. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्चे देय होंगे।

12. आवेदक इस तथ्य की अण्डरटेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाये गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जावेंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।

13. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय–समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।

14. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसके प्रति कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।
16. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

इच्छुक आवेदक ऑनलाईन लिंक, जिसकी जानकारी रालसा की वेबसाईट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से प्राप्त की जा सकती है, पर आवेदन पत्र भरकर उसकी समान हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज (1.बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति 2. अनुभव प्रमाण-पत्र, 3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि, जिनमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो 4. यदि आवेदक एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र 5. जन्म दिनांक प्रमाण 6. अन्य उचित दस्तावेज) व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में **दिनांक 04.06.2022 को सायं 5:00 बजे तक** प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः 11079-11094 दिनांकः 19-05-2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-समस्त न्यायालय/अधिकरण/मंच, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय/समस्त न्यायालय/तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/मंच।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. वेबसाइट, रालसा/जिला न्यायालय, समस्त राजस्थान।

19/5/2022
(स्वाति राव)
उप सचिव-प्रथम

"Help The Needy – Timely Help May Create History"